अजमेर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. अजमेर

क्रमांकः/आवि./2018–19/............................ दिनांकः– 1.5.2018

शाखा प्रबन्धक/ऋण पर्यवेक्षक,
शाखा ....

विषयः– किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नवीनीकरण पश्चात बैंक मे लागू करने बाबत्।

संदर्भ :– शीर्ष बैंक पत्र क्रमांक/आरएससीबी/आवि/ स.जी.सु.बी /2018–19/ 809 दिनांक 25.4.2018

शीर्ष बैंक पत्र क्रमांक/आरएससीबी/आवि/स.जी.सु.बी./2018–19/809 दिनांक 25.4.2018 के अनुसार सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नवीनीकरण हेतु शीर्ष बैंक एवं मै0 एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाईफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 के मध्य दिनांक 23.4.2018 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है। मै0 एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाईफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि0 से राशि रु 7.47 (अक्षरे सात रूपये सैतालिस पैसे मात्र) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति हजार की प्रीमियम दर पर राशि रु 1000 से राशि रूपये 2.00 लाख तक तथा राशि रूपये 8.81 (अक्षरे आठ रूपये इक्यासी पैसे मात्र) (मय जीएसएटी) प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष, प्रति हजार राशि रूपये 2.00 लाख से अधिक तथा रूपये 10.00 लाख तक की अधिकतम सीमा तक का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध होगा।

समझौता ज्ञापन अंतर्गत न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 79 वर्ष तक के व्यक्ति बीमित किये जा सकेगे। समझौता ज्ञापन दिनांक 31.3.2019 तक के लिए निष्पादित किया गया हैं। अतः बीमा दिनांक 31.3.2019 तक किया जा सकेगा।

अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाभार्थी का बीमा अनिवार्य रूप से करवाया जाना हैं। पूर्वानुसार अमानतदारो, अन्य ऋणियों एवं स्टॉफ सदस्यों इत्यादि का बीमा स्वैच्छिक होगा।